



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052025-263324  
CG-DL-E-24052025-263324

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2226]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 2025/वैशाख 31, 1947

No. 2226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 2025/VAISAKHA 31, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2025

का.आ. 2280(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की सं. 36) की धारा 63 के अंतर्गत परिचालित दिशा-निर्देशों के पैरा 3 के उप-पैरा 3.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय पारेषण समिति की 29 वीं बैठक की सिफारिशों पर, संबंधित बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के ब्यौरे के साथ टीबीसीबी मोड के अंतर्गत निम्नलिखित पारेषण स्कीमों को अधिसूचित करती है:-

क्र.सं.	पारेषण स्कीम का नाम एवं कार्यक्षेत्र	
1.	एसआर ग्रिड और ईआर ग्रिड के बीच अंतर-क्षेत्रीय सुदृढीकरण संभावित कार्यान्वयन की समय-सीमा: एसपीवी हस्तांतरण की तिथि से 30 माह  बीपीसी: पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड कार्यक्षेत्र:	
	क्र.सं.	पारेषण स्कीम का कार्यक्षेत्र
	क्षमता/किमी	
1.	अंगुल – श्रीकाकुलम के दोनों सर्किटों के दोनों छोर पर 240 एमवीएआर एसएलआर के	<ul style="list-style-type: none"><li>• लाइन की लंबाई ~ 275 किमी</li><li>• 765 केवी लाइन बे - 2 जीआईएस (श्रीकाकुलम</li></ul>

	साथ 765 केवी द्वितीय डी/सी लाइन (लगभग 275 किमी)	में) • 765 केवी लाइन बे - 2 एआईएस (अंगुल में) • श्रीकाकुलम में 765 केवी, 240 एमवीएआर एसएलआर - 2 (6x80 एमवीएआर स्विचेबल यूनिट) • अंगुल में 765 केवी, 240 एमवीएआर एसएलआर - 2 (6x80 एमवीएआर स्विचेबल यूनिट)						
2.	अंगुल में 1x330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर (तीसरा)	• 765 केवी बस रिएक्टर - 1 (3x110 एमवीएआर स्विचेबल यूनिट) • 765 केवी बस रिएक्टर बे - 1						
<p>टिप्पणी:</p> <p>I. पावरग्रिड अंगुल - श्रीकाकुलम 765 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए श्रीकाकुलम (जीआईएस) और अंगुल, दोनों स्थानों में दो 765 केवी लाइन बे के लिए स्थान (निःशुल्क) उपलब्ध कराएगा ताकि अंगुल-श्रीकाकुलम 765 केवी डी/सी लाइन को समाप्त किया जा सके।</p> <p>II. पावरग्रिड, अंगुल में संबद्ध बे सहित 1x330 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए स्थान (निःशुल्क) उपलब्ध कराएगा।</p>								
2.	<p>एसआर ग्रिड और डब्ल्यूआर ग्रिड के बीच अंतर-क्षेत्रीय सुदृढीकरण</p> <p>संभावित कार्यान्वयन की समय-सीमा: एसपीवी हस्तांतरण की तिथि से 24 माह</p> <p>बीपीसी: आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड</p> <p>कार्यक्षेत्र:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>पारेषण स्कीम का कार्यक्षेत्र</th><th>क्षमता/किमी</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>बीदर छोर के दोनों सर्किटों पर 240 एमवीएआर एसएलआर के साथ परली न्यू - बीदर 765 केवी डी/सी लाइन (लगभग 120 किमी)</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>लाइन की लंबाई ~ 120 किमी</li> <li>765 केवी लाइन बे - 2 (बीदर पीएस पर)</li> <li>765 केवी लाइन बे - 2 (परली न्यू पर)</li> <li>बीदर पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर एसएलआर- 2 (6x80 एमवीएआर स्विचेबल यूनिट) (*बीदर पीएस पर 1x80 एमवीएआर स्पेयर स्विचेबल यूनिट पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन है और इसे स्पेयर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है)</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table> <p>टिप्पणी:</p> <p>I. बीदर पीएस का टीएसपी परली न्यू-बीदर 765 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए बीदर पीएस पर दो 765 केवी लाइन बे के लिए स्थान (निःशुल्क) उपलब्ध करेगा।</p> <p>II. परली न्यू एस/एस का टीएसपी परली न्यू-बीदर 765 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए परली न्यू पर दो 765 केवी लाइन बे के लिए स्थान (निःशुल्क) उपलब्ध करेगा।</p>		क्र.सं.	पारेषण स्कीम का कार्यक्षेत्र	क्षमता/किमी	1.	बीदर छोर के दोनों सर्किटों पर 240 एमवीएआर एसएलआर के साथ परली न्यू - बीदर 765 केवी डी/सी लाइन (लगभग 120 किमी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>लाइन की लंबाई ~ 120 किमी</li> <li>765 केवी लाइन बे - 2 (बीदर पीएस पर)</li> <li>765 केवी लाइन बे - 2 (परली न्यू पर)</li> <li>बीदर पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर एसएलआर- 2 (6x80 एमवीएआर स्विचेबल यूनिट) (*बीदर पीएस पर 1x80 एमवीएआर स्पेयर स्विचेबल यूनिट पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन है और इसे स्पेयर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है)</li> </ul>
क्र.सं.	पारेषण स्कीम का कार्यक्षेत्र	क्षमता/किमी						
1.	बीदर छोर के दोनों सर्किटों पर 240 एमवीएआर एसएलआर के साथ परली न्यू - बीदर 765 केवी डी/सी लाइन (लगभग 120 किमी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>लाइन की लंबाई ~ 120 किमी</li> <li>765 केवी लाइन बे - 2 (बीदर पीएस पर)</li> <li>765 केवी लाइन बे - 2 (परली न्यू पर)</li> <li>बीदर पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर एसएलआर- 2 (6x80 एमवीएआर स्विचेबल यूनिट) (*बीदर पीएस पर 1x80 एमवीएआर स्पेयर स्विचेबल यूनिट पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन है और इसे स्पेयर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है)</li> </ul>						

2. इस संबंध में बोली प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

3. बीपीसी तकनीकी विकल्पों के माध्यम से राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की चौड़ाई में कमी की गणना के लिए के. वि. प्रा. की समिति की रिपोर्ट, दिनांकित 24.09.2024 के अनुसार आरओडब्ल्यू अनुकूलन सुनिश्चित करेगी।

4. इसके अलावा, पीएम गति शक्ति पोर्टल और भौतिक सर्वेक्षण पर सत्यापन के बाद मार्ग को अनिवार्यतः अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

[फा. सं. 15/3/2018-ट्रांस (भाग-4)]

नाओरेम इंद्रकुमार सिंह, अवर सचिव (पारेषण)

## MINISTRY OF POWER

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2025

**S.O. 2280(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-para 3.2 of Para 3 of the Guidelines circulated under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Central Government, on the recommendations of 29th meeting of National Committee on Transmission, hereby notifies the following transmission schemes under TBCB mode, with details of respective Bid-Process Coordinator (BPC):-

Sl. No.	Name & Scope of the Transmission Scheme		
1.	Inter-Regional Strengthening between SR Grid and ER Grid		
	Tentative implementation timeframe: 30 months from the date of SPV transfer		
	BPC: PFC Consulting Limited		
	Scope:		
	Sl. No.	Scope of the Transmission Scheme	Capacity/km
	1.	Angul – Srikakulam 765 kV 2 <sup>nd</sup> D/c line (about 275 km) with 240 MVAR SLR at both ends on both circuits	<ul style="list-style-type: none"><li>Line length ~ 275 km</li><li>765 kV line bays – 2 Nos. GIS (at Srikakulam)</li><li>765 kV line bays – 2 Nos. AIS (at Angul)</li><li>765 kV, 240 MVA<sub>r</sub> SLR at Srikakulam – 2 Nos. (6x80 MVA<sub>r</sub> switchable units)</li><li>765 kV, 240 MVA<sub>r</sub> SLR at Angul – 2 Nos. (6x80 MVA<sub>r</sub> switchable units)</li></ul>
	2.	1x330 MVAR, 765 kV bus reactor (3 <sup>rd</sup> ) at Angul Substation	<ul style="list-style-type: none"><li>765 kV bus reactor – 1 No. (3x110 MVA<sub>r</sub> switchable units)</li><li>765 kV bus reactor bay – 1 No.</li></ul>
	Note:		
	i. POWERGRID shall provide space (free of cost) for 2 Nos. of 765 kV line bays each at Srikakulam (GIS) and Angul for termination of Angul-Srikakulam 765 kV D/c line.		
	ii. POWERGRID shall provide space (free of cost) for 1x330 MVA <sub>r</sub> bus reactor along with associated bay at Angul.		
2.	Inter-Regional Strengthening between SR Grid and WR Grid		
	Tentative implementation timeframe: 24 months from the date of SPV transfer		
	BPC: REC Power Development and Consultancy Limited		
	Scope:		
	Sl. No.	Scope of the Transmission Scheme	Capacity/km
1.	Parli New – Bidar 765 kV D/c line (about 120 km) with 240 MVAR SLR at Bidar end on both circuits	<ul style="list-style-type: none"><li>Line length ~ 120 km</li><li>765 kV line bays – 2 Nos. (at Bidar PS)</li></ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 765 kV line bays – 2 Nos. (at Parli New)</li> <li>• 765 kV, 240 MVAR SLR at Bidar PS – 2 Nos. (6x80 MVAR switchable units) (*1x80 MVAR spare switchable unit at Bidar PS is already under implementation and same may be used as spare)</li> </ul>	
	<p>Note:</p> <p>i. TSP of Bidar PS shall provide space (free of cost) for 2 Nos. of 765 kV line bays at Bidar PS for termination of Parli New – Bidar 765 kV D/c line.</p> <p>ii. TSP of Parli New S/s shall provide space (free of cost) for 2 Nos. of 765 kV line bays at Parli New for termination of Parli New – Bidar 765 kV D/c line.</p>		

2. The appointment of the Bid Process Coordinator is subject to the conditions laid down in the Guidelines issued by Ministry of Power in this regard, amended from time to time.

3. BPCs shall ensure RoW optimization as per the CEA's Committee report dated 24.09.2024 for calculation of reduction of Right of Way (RoW) Width through Technological Options.

4. Further, the route must be finalised after validation on PM Gati Shakti portal and physical survey.

[F. No. 15/3/2018-Trans-Part(4)]

NAOREM INDRAKUMAR SINGH, Under Secy. (Transmission)